JALAUN POLICE

दिनांक- 05.01.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में ARTO, खनिज एवं कोतवाली उरई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 04 लोकेशन माफिया को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 04/05.02.2026 की रात्रि में श्री राजेश कुमार (सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी) (प्रवर्तन) प्रथम जनपद जालौन मय खान/खनन निरीक्षक श्री कुलदीप कुमार एवं कोतवाली उरई पुलिस के द्वारा अवैध ओवरलोड उपखनिज लदे वाहनों चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान राठ रोड से उरई की ओर कुछ लोग कार वो मोटरसाईकिल से टीम का पीछा कर रहे थे। जिसमें से एक कार नं0 MP07ZH3221 को बैरिकेड कर रुकवाया गया। कार सवार व्यक्ति ने अपना नाम मयंक यादव पुत्र श्री मानवेन्द्र यादव निवासी डकोर जनपद जालौन उम्र लगभग 28 वर्ष बताया। इसी दौरान मौके पर मंयक के तीन अन्य साथी भी आ गये जो एक राय होकर चैकिंग टीम के साथ अभद्रता कर साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने लगे तो सभी चारों आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया गया है।

पूछताछ में आरोपीगण द्वारा बताया गया कि कि साहब हम लोगों के ट्रक चलते है, ओवरलोड व अन्य कारणों से आप लोगों द्वारा चेक करके गाडियों को बन्द कर दिया जाता है। भारी जुर्माने के बाद गाड़ियां छूट पाती है इसलिये हम लोग गाड़ियों को निकलवाने के लिये सड़क के किनारे खड़े होकर सतर्क दृष्टि बनाये रखते है जिससे की गाड़ियों को पकड़े जाने से बचाया जा सके तथा हम सभी लोग व्हाट्सएप व फोन के माध्यम से एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं।

उक्त सभी आरोपीगण भौतिक रुप से एवं अपने- अपने मोबाइल फोन, व्हाट्सएप के माध्यम से संगठित गिरोह बनाकर छलपूर्वक, ट्रको से उपखनिजों का अवैध खनन, परिवहन व ओवरलोडिग करते हुये राजकीय सम्पत्ति की क्षति व राजस्व की चोरी करते हैं। अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोतवाली उरई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है तथा आरोपी शिवम के पास से बरामद औरा गाड़ी को 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. मयंक यादव पुत्र श्री मानवेन्द्र यादव निवासी डकोर जनपद जालौन उम्र लगभग 28 वर्ष
2. विशाल यादव पुत्र यशवन्त सिंह उर्फ कल्लू निवासी ग्राम व थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 29 वर्ष
3. सुरेन्द्र यादव पुत्र रूप चन्द्र यादव निवासी कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 33 वर्ष
4. शिवम कुमार पुत्र भान सिंह निवासी ग्राम व थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 22वर्ष-

अभियुक्तगणों के पास से 05 अदद मोबाईल फोन बरामद।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के जनपदों/थानो से की जा रही है।

टीम का विवरण-

1- एआरटीओ प्रथम जनपद जालौन

2- खनन निरीक्षक उरई जनपद जालौन

3- कोतवाली उरई पुलिस।